

परिशिष्ट

विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2018 बैठक दिनांक 28.03.2018


विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5858 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री गोविन्द सिंह पटेल

मुख्य मंत्री स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना के अंतर्गत वर्तमान में निर्देशानुसार प्रति हार्स पॉवर के अनुसार राशि का भुगतान निर्धारित श्रेणी अनुसार किया जाना है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	लागू वर्ष	लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु (2 हेक्टेयर से कम के भूमि धारक)		2 हेक्टेयर तथा अधिक भूमि धारक कृषकों हेतु
		अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	
1	2017-18	रु. 5500 प्रति हार्स पॉवर	रु. 7500 प्रति हार्स पॉवर	रु. 12000 प्रति हार्स पॉवर

तदनुसार 3 हार्स पॉवर, 5 हार्स पॉवर एवं 7.5 हार्स पॉवर प्रत्येक पम्प पर किसानों को निम्नानुसार खर्च करना पड़ता है ।

क्र.	हार्स पॉवर	लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु (2 हेक्टेयर से कम के भूमि धारक)		2 हेक्टेयर तथा अधिक भूमि धारक कृषक हेतु (राशि रु. में)
		अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु (राशि रु. में)	अन्य कृषकों हेतु (राशि रु. में)	
1	3	16500	22500	36000
2	5	27500	37500	60000
3	7.5	41250	56250	90000

-----  
  
 अनुभागी सचिव,  
 म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल